उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्या- 01/2017/9/6/35-आ-2/2007-70
लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा-(4) के खण्ड (ड.) के अधीन जनपदों की जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 अक्टूबर, 2013, दिनांक 20 फरवरी,2014, दिनांक 04 मार्च,2014, दिनांक 12 जून,2014,दिनांक 07 जुलाई,2014, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014, दिनांक 11 फरवरी,2015, दिनांक 18 फरवरी,2015, दिनांक 21 दिसम्बर,2015, दिनांक 16 मई, 2016, दिनांक 17 मई,2016 एवं दिनांक 18 मई,2016 द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों का नामांकन तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्याः 01/2017/9/6/35-आ-2/2007-70, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
6- समस्त मण्डलायुक्त ।
8- समस्त जिलाधिकारी ।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी (सचिव,जिला योजना समिति) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया तदनुसार सम्बंधित व्यक्तियों को अवगत करा दिया जाये।
10- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ।
11- सम्बंधित व्यक्ति।
12- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
13- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ. प्र. को इस आशय से प्रषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंश में प्रकाशित कर दें ।

आज्ञा से,

(पी. एन. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव, नियोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in